भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3953

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

जेएसजेबी के अंतर्गत कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं

3953. श्रीमती स्मिता उदय वाघ:

श्री लुम्बा राम:

श्रीमती कमलेश जांगड़े:

श्री अनुराग शर्मा:

श्री प्रवीण पटेल:

श्री आलोक शर्मा:

श्री कंवर सिंह तंवर:

श्रीमती कमलजीत सहरावत:

श्री पी. पी. चौधरी:

श्री जगदम्बिका पाल:

श्री मुकेश राजपूत:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्रीमती अपराजिता सारंगी:

श्री नव चरण माझी:

श्री दिलीप शइकीया:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल के अंतर्गत कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण हेतु मंत्रालयों के बीच प्रभावी अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन सी विशिष्ट कार्यनीतियां कार्यान्वित की गई हैं;

(ख) सरकार का इस क्षेत्र में भू-जल के स्तर को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के जलगांव जिले सहित देश में सतत जल प्रबंधन पद्धतियों, निर्माण और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए जेएसजेबी की पहल के कार्यान्वयन में स्थानीय समुदायों/हितधारियों को किस प्रकार शामिल करने का विचार है;

(ग) जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान के भाग के रूप में भू-जल स्तर में सुधार लाने में कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं की प्रभावकारिता की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) जलगांव जिला अपनी विशिष्ट जल प्रबंधन चुनौतियों का समाधान करने के लिए जेएसजेबी

पहल का किस प्रकार लाभ उठा सकता है और क्षेत्र में भू-जल के स्तर को बढ़ाने में स्थानीय हितधारक किस प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान के अंतर्गत शुरू की गई जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल एक सैचुरैशन मोड में किफ़ायती वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण में सामुदायिक सक्रियता को सशक्त करने पर केंद्रित है। जेएसजेबी पहल के अंतर्गत कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए मंत्रालयों के बीच प्रभावी अंतर-क्षेत्रीय संमिलन सुनिश्चित करते हुऐ सरकार ने एक व्यापक रणनीति लागू की है जो संयुक्त प्रयासों और मौजूदा संसाधनों के लाभ को सार्थक बनाती है। इसमे सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), प्रतिपूरक वनीकरण निधि (कैम्पा), वित्त आयोग अनुदान और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व द्वारा प्राप्त होने वाले (सीएसआर) योगदान सहित विभिन्न योजनाओं के संसाधनों को एकत्रित करते हुऐ एक अभिसरित दृष्टिकोण अपनाया गया है। इससे एक अभिसरित वित्त पोषण तालमेल सुनिश्चित होता है और प्रभाव इष्ठतम बनता है। प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग से अनुरोध किया गया है कि वे कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के व्यापक विनिर्माण का समर्थन करने के लिए अपनी मौजूदा योजनाओं और संसाधनों का उपयोग करें। मंत्रालयों को उपलब्ध भूमि और कार्यालयी परिसरों के आधार पर कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने और उन्हें प्रगतिशील बनाने के लिए स्व-निर्धारित लक्ष्य निर्धारित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। प्रगति की समीक्षा करने, चुनौतियों का समाधान करने और एक सहयोगी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए नियमित बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

(ख): सरकार द्वारा जेएसजेबी पहल के कार्यान्वयन में स्थानीय समुदायों/हितधारकों को शामिल किए जाने के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों की भागीदारी के साथ जेएसजेबी पहल को बढ़ावा देने के लिए व्यापक उपाय लागू किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य उद्योग, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), ट्रस्ट, सिविल सोसाइटी और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी करना है ताकि सभी प्राकर के समुदायों को इस कार्य में प्रभावी ढंग से शामिल किया जा सके। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार की राज्य सरकारों ने अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी मौजूदा योजनाओं का उपयोग करते हुऐ और मुख्यालय स्तर और फील्ड स्तर दोनों पर कार्यालय परिसरों और आवासीय परिसरों में पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण कार्य को परिपूर्ण करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सार्वजनिक कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। जन-जागरूकता प्रयासों में रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), स्व-सहायता समूह (एसएचजी) और गैर-सरकारी संगठन भी शामिल रहते हैं। इस पहल में जनता के बीच

स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ लोकोपकारी योगदान, औद्योगिक दान और क्राउडफंडिंग सहित विभिन्न स्त्रोतों से अभिसारी धन जुटाने पर जोर दिया गया है।

(ग): कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं की प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) पोर्टल के अंतर्गत एक समर्पित उप-पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल देश भर में कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं पर डेटा कैप्चर करने के लिए लाइव और समर्पित है, और इसका उद्देश्य जल संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना है। सभी चिन्हित, चल रही और पूर्ण संरचनाओं की जानकारी निम्न जेएसजेबी डैशबोर्ड पर अपलोड की गई है: https://jsactr.mowr.gov.in/jsjb.aspx । डैशबोर्ड पर डेटा को अद्यतन करने में जिला प्रशासन की सहायता के लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उनकी प्रमुख भूमिकाओं में अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य की प्रगति की निगरानी करना, पोर्टल पर डेटा अपलोड सुनिश्चित करना और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए संरचनाओं की 1% रैडंम जांच का कार्य शामिल है।

(घ): जलगांव जिला स्थानीय परिस्थितियों के आधार किफ़ायती कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करके अपनी जल प्रबंधन चुनौतियों के निपटारे हेतु जेएसजेबी पहल का लाभ उठा सकता है। मनरेगा, पीएमकेएसवाई, सीएसआर योगदान, क्राउडफंडिंग आदि जैसी योजनाओं से संसाधनों को एकजुट करते हुए, यह जिला भूजल की कमी वाले गंभीर क्षेत्रों मे कार्य कर सकता है। इसमे स्थानीय हितधारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जैसे कि प्रशासन अंतर-विभागीय प्रयासों के लिए समन्वय कर सकता है और प्रगति की निगरानी कर सकता है, ग्राम पंचायतें सामुदायिक कार्रवाई कर सकती हैं और गैर सरकारी संगठन तकनीकी सहायता प्रदान कर सकते हैं। सिविल सोसायटी, युवा और विद्यार्थी जन-जागरूकता को बढ़ा सकते हैं और वर्षा जल संचयन क्रियान्वित कर सकते हैं, जिससे क्षेत्र के लिए स्थायी भूजल प्रबंधन सुनिश्चित हो।

*****